


न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

मोपु०

अपीलप्रकरण क्र०/

/०१४

379
15-7-14



Rs. 20/-

R-2386-III-114

शैलेन्द्र गिरि तनय स्व० जयराम गिरि उम्र-55 वर्ष पेशा-पूजा अर्चना, निवासी
ग्राम दुविधा, थाना शाहपुर, चौकी खडखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा
मोपु० -----अपीलांत

विरुद्ध

गिरीश गिरि तनय रसिक बिहारी गिरि उम्र-45 वर्ष पेशा-दुकानदारी, निवासी
ग्राम दुविधा, पो० पटेहरा थाना शाहपुर, चौकी खडखरी, तह० हनुमना,
जिला रीवा, मोपु० ----- रेष्या०ग्न.

अपील विरुद्ध आदेश अमर आयुक्त संभाग रीवा

दिनांक 19.06.014 जो प्रकरण क्र० 594/अपील/

13-14 में पारित किया गया ।

श्री. डा. त. के. ए. प्र. सिमा
द्वारा आज दिनांक 19.07.14 को
प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 2384
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 25-7-14 को प्राप्त

35-7-14
क्लक ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

अपील के आधार निम्न है :-

1011 यह कि प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के
विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

1021 यह कि रेष्या० की पुजारी पद पर नियुक्ति किए जाने के पूर्व किसी
भीतरह से इशतहारका कोई भी प्रकाशन नहीं किया गया वलिक प्रकाशन की
कागजी कार्यवाही मात्र की गई और न पूर्व से पूजा कर रहे पुजारी से कोई
पूछताछ या जानकारी ही ली गई वलिक प्राथी की गैरजानकारी में व उसके
पीठ पीछे नियुक्ती का आदेश दिया गया जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है । यदि विधिवत

M

JP Arida av

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. P: 2386/III / 14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-15	<p>प्रकरण में आवेदक अभिभाषक श्री दीर्घी रामिआ उपर। इसे प्रकरण की ग्राह्यता पर पुना गया। प्रकरण पत्रिका का अपव्यक्त किया गया। प्रकरण में पुजारी नियुक्ति से संबंधित विवाद है जिसके अनुसार रीवा में चतुर्भुज भगवान मेदि में पुजारी की नियुक्ति आवेदक की अनुविभागीय अधिकारी डा. कलमरा के अनुमोदन के पश्चात की गई थी जिसके विरुद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा को की गई जहां अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-6-14 से अपील खोला की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 19-6-14 के विरुद्ध निगली राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। प्रकरण के समस्त पक्षियों पर लिखा किया गया जिसके अनुसार राजस्व मण्डल को पुजारी नियुक्ति संबंधी प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सुनवाई का अधिकार नहीं है एवं अपील क्षेत्राधिकार वास्तव होने से प्रकरण ग्राह्य किया जाता है।</p>	<p><i>[Signature]</i> सदस्य</p>

[Handwritten signature]
31/8/15